वर्ष 27 अंक 150
पृष्ठ 20+4=24
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार
15 दिसंबर 2016
राजधानी
मूल्य ₹ 5.00

दैनिक जागरण

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

दिव्यांगों से भेदभाव माना जाएगा अपराध

- झगड़े को दरकिनार कर सरकार और विपक्ष ने पारित किया विधेयक
- भेदभाव पर मिलेगी सजा, बढ़ाया जाएगा दिव्यांग का दायरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : दिव्यांगों से भेदभाव को अब अपराध माना जाएगा। पहली बार दिव्यांगों के साथ भेदभाव करने वाले अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान किया जा रहा है। संसद का पूरा शीतकालीन सत्र नोटबंदी से उपजे विवाद की भेंट चढ़ने को है। ऐसे में बुधवार को पूरा सदन दिव्यांगों के मसले पर एक साथ खड़ा नजर आया। सत्र समाप्त होने से केवल तीन दिन पहले राज्यसभा ने दिव्यांग विधेयक-2014 पारित कर दिया। दिव्यांगों से भेदभाव को दंडनीय अपराध बनाने वाला यह विधेयक 120 संशोधनों के साथ सर्वसम्मति से पारित किया गया है। राज्यसभा इस सत्र में अब तक सिर्फ यही एक बिल पारित कर पाई है।

दिव्यांग व्यक्ति अधिकार वाला यह विधेयक पुराने दिव्यांग अधिनियम-1995 का स्थान लेगा। इस नए कानून से दिव्यांगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो सकेगा। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में दो करोड़ से ज्यादा लोग किसी-न-किसी रूप में दिव्यांग हैं। नए विधेयक में 21 नई दिव्यांगता को शामिल किया गया है। इसके चलते दिव्यांगों की संख्या बढ़ जाएगी। नया कानून बन जाने से तकरीबन 10 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इससे दिव्यांगों को समाज में सम्मानीय स्थान बनाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि विधेयक में दिव्यांगों की श्रेणी में वृद्धि की गयी है, जिससे अधिक-से-अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पुराने बिल के मुकाबले संशोधित विधेयक में 40 फीसद से ज्यादा दिव्यांग लोगों को नौकरी, शिक्षा और सरकारी योजनाओं में आरक्षण मिलेगा। निजी कंपनियों की इमारतों में दिव्यांगों के आने-जाने के लिए रैंप और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। विधेयक में दिमागी रूप से बीमार लोगों के अभिभावक बनाने को लेकर स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए जिला अदालतें दो तरह का प्रावधान कर सकती हैं।

बुधवार को राज्यसभा में बोलते सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत। प्रेट्र

बहुत कम हुआ कामकाज

- 16 नवंबर से आहूत संसद के इस सत्र में कई अहम विधायी कार्य किए जाने थे।
- 16 दिसंबर को खत्म होने वाले इस सत्र के तहत दोनों सदनों की 22 बैठकें प्रस्तावित थीं।
- 10 बिलों को विचार और पारित किया जाना तय था। नो बिल पेश, विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध थे।
- दो बिलों को वापस लिया जाना तय था। लेकिन करीब महीनेभर चले इस सत्र के विधायी कार्यों का लेखाजोखा चिंतित करने वाला है।
- अब तक लोकसभा में तय कामकाज का कुल 16 फीसद और राज्यसभा में 19 फीसद कामकाज हुआ है।